एस एम ए एम के तहत स्वचालित बागवानी मशीनों की खरीद पर सब्सिडी उपलब्ध

बागवानी मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार कृषि मशीनीकरण पर अपने उप-मिशन (एस एम ए एम) के तहत स्वचालित बागवानी मशीनों की खरीद के लिए पात्र लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान कर रही है।

इसके लिए भारत सरकार का कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग अपने मशीनीकरण और प्रौद्योगिकी प्रभाग द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी बी टी) के माध्यम से सब्सिडी दे रहा है।

योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को प्रति मशीन की कुल लागत के 40-50% तक सब्सिडी दी जाती है।

महिलाओं, छोटे और सीमांत किसानों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित लाभार्थियों को मशीन की कुल लागत के 50% तक सब्सिडी दी जाती है। अन्य लाभार्थियों के लिए सब्सिडी कुल लागत का 40% तक है।

स्वचालित बागवानी मशीनों की खरीद के लिए एस एम ए एम योजना के तहत लागत मानदंड और वित्तीय सहायता का प्रतिरूप

स्वचालित मशीन	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमान्त किसान, महिलाएं तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थियों के लिए	
	अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता का प्रतिरूप	अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता का प्रतिरूप
ट्रेक ट्रॉली	2 लाख रुपये	50%	1.60 लाख रुपये	40%
नर्सरी मीडिया फिलिंग मशीन	2 लाख रुपये		1.60 लाख रुपये	
बहुउद्देशीय हाइड्रोलिक प्रणाली	2 लाख रुपये		1.60 लाख रुपये	
प्रूनिंग, बडिंग, ग्रेटिंग, कटाई आदि के लिए पावर-संचालित बागवानी उपकरण।	50,000 रुपये		40,000 रुपये	